कक्षा 8 राजनीति विज्ञान अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण Notes

हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है।

लोगों को फ़ैसला क्यों लेना चाहिए ?

भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माँग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए ।

1909 गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी।

ई.वी.एम :- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :- देश के सभी वयस्क नागरिकों (जो 18 वर्ष से अधिक है) को वोट देने का अधिकार है।

लोग :- लोग ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है ।

प्रतिनिधि :- लोग ही संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

सरकार :- निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है।

संसद :- जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है।

संसद की भूमिका :- भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। इसके दो सदन है। राज्य सभा और लोकसभा

राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।
लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं।

निर्वाचन क्षेत्र :- देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है।

संसद की भूमिका :- संसद सदस्य या सांसद (एम.पी) कहलाते हैं।

https://www.evidyarthi.in

1. राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना :- यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए।

लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य (और 2 मनोनीत सदस्य) होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए।

कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है।

कार्यपालिक :- संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़ेहन में अकसर यही कार्यपालिका होती है।

प्रधानमंत्री :- लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है।

राज्यसभा :- राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है।

राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रीपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं।

गठबंधन:- साझा सरकार

UPA – इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है।1885

(संप्रग)संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन

(UPA) United Progressive Alliance

NDA:-इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। 1980

(राजग) राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन

(NDA)National Democratic Alliance

2. सरकार को नियंत्रित करना :- संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है।

प्रश्नकाल :- इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।

लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं।
सासंदो के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है।
जनप्रतिनिधियों के रुप मे संसद को नियंत्रित, निदेर्शित , और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है।

3. कानून बनाना :- कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है।
संसद में 84 सीटें अनुसूचित जाति (एस. सी.) और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)

https://www.evidyarthi.in

क्या कानून सभी पर लागू किये जाते है?

- एक आपराधिक मामला छिपाना (कानून का उल्लंघन - दंड)
- स्वतंत्र भारत में सत्ता का कोई मनमाने ढंग से अभ्यास नहीं होना चाहिए|
- सभी लोग कानून लागु करने से पहले समान हैं|
- कानून लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है|
- कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता - कोई सरकार नहीं। आधिकारिक, कोई अमीर व्यक्ति और यहां तक कि राष्ट्रपति भी नहीं|
- प्राचीन भारत - स्थानीय कानूनों को अतिव्यापी करना - जाति पर आधारित सजा (निम्न जाति को दंडित किया गया था)
- औपनिवेशिक काल - परिदृश्य बदल गया और ब्रिटिश कानून के शासन को पेश किया - औपनिवेशिक कानून मनमानी थे और भारतीयों ने कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई|

विवेकाधीन ब्रिटिश कानून का उदाहरण

1870 का संविधान अधिनियम: ब्रिटिश सरकार का विरोध करने या आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता है|

Arbitrary British Law

https://www.evidyarthi.in/

- रॉलेक्ट एक्ट, 1919: ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने की इजाजत दी गई - डॉ सत्यपाल और डॉ सैफुद्दीन किचलेव को गिरफ्तार कर लिया गया - अमृतसर में जालियावाला बाग में बैठक का विरोध करने के लिए - जनरल डायर का गोली चलाना|
- भारतीय राष्ट्रवादी ने विरोध किया और आलोचना की - समानता के लिए लड़े
- 19वीं शताब्दी के अंत - अदालतों और भारतीय न्यायाधीशों में भारतीय कानूनी व्यवसायों को देखा गया|
- संविधान के बाद - नए कानून पारित किए गए हैं और मौजूदा लोगों को संशोधित किया गया है (प्रदूषण और रोजगार पर नए कानून)
- हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005: बेटे, बेटियां और उनकी मां परिवार की संपत्ति का बराबर हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं|

नए कानून कैसे बनाए जाते हैं?

- संसद कानून बनाती है|
- संसद लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनशील है|
- घरेलू हिंसा - चोट या हानि या वयस्क पुरुष के कारण चोट या क्षति का खतरा, आमतौर पर पति, अपनी पत्नी के खिलाफ - शारीरिक या भावनात्मक हो सकता है|
- दुर्व्यवहार - सामाजिक, आर्थिक या यौन
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा: हिंसा को पीड़ित पुरुष सदस्य के साथ 'आंतरिक' घर में रहने वाले सभी महिलाओं को शामिल करने के लिए 'घरेलू' बढ़ाता है - इसमें व्यय और चिकित्सा लागत को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत शामिल है|

https://www.evidyarthi.in/

- 1999 में घरेलू हिंसा (रोकथाम और संरक्षण) विधेयक का मसौदा तैयार किया गया और 2002 में पेश किया गया, 2005 में नए बिल को फिर से पेश किया गया और घरेलू हिंसा अधिनियम से महिला संरक्षण का नाम दिया गया जो 2006 में लागू हुआ|

कानून की पारित होने की आवश्यकता से - नागरिक की आवाज़ महत्वपूर्ण है - टीवी, संपादकीय, समाचार पत्र, प्रसारण और स्थानीय बैठकों द्वारा व्यक्त की गई|

https://www.evidyarthi.in/

अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून

- कभी-कभी कानून पारित होता है, संवैधानिक रूप से वैध और कानूनी लेकिन अलोकप्रिय हो जाता है|
- लोग इसकी आलोचना करते हैं, बैठकों और प्रदर्शनों को पकड़ते हैं, इसके बारे में लिखते हैं और इसके बारे में अनिच्छुकता व्यक्त करते हैं - यदि जन आंदोलन इकट्ठा होता है तो संसद पर इसे बदलने के लिए दबाव होता है|
- उदाहरण के लिए, नगरपालिका सीमाओं के अंदर अंतरिक्ष के उपयोग पर नगरपालिका कानून को खखारना और सड़क को बिकवाने के लिए अवैध होना चाहिए - खुली जगह जनता के लिए अच्छी है लेकिन फेरिये बाजार में सस्ती सेवाएं लाते हैं - जो लोग इसे संशोधित करना या रद्द करना चाहते हैं वे अदालत में जा सकते हैं|
- नागरिकों की भूमिका - निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया का उपयोग, लोगों की भागीदारी और उत्साह संसद को सही तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं।

evidyarthi

https://www.evidyarthi.in/